International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

शेखावाटी क्षेत्र में ई - गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन: जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Raju Dhabhai[1], Dr. Braj Kishore[2]

[1]Student, Department of Political Science, Gov. Girls College, Ajmer, Rajasthan
[2]Associate Professor, Department of Political Science, Gov. Girls College, Ajmer, Rajasthan

सार

जन सूचना पोर्टल और ई-गवर्नेंस की मुख्य विशेषताएँ
पारदर्शिता और जवाबदेही: यह पोर्टल नागरिकों को बिना किसी परेशानी के सरकारी विभागों की जानकारी और योजनाओं का लाभ जानने का अधिकार देता है।
एक क्लिक पर डेटा: शेखावाटी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग नरेगा (MGNREGA), राशन वितरण (PDS), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं
डिजिटल सशक्तिकरण: इसके जरिए आम जनता सामाजिक ऑडिट (Social Audit) में भाग ले सकती है और बिचौलियों के बिना सीधे सरकारी रिकॉर्ड देख सकती है।

परिचय

शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों) में राजस्थान सरकार की ई-गवर्नेंस नीतियों के तहत डिजिटल सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों को खत्म करने और सरकारी योजनाओं को सीधे नागरिकों तक पहुँचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। [1, 2]
शेखावाटी क्षेत्र में ई-गवर्नेंस की प्रमुख पहलें और प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं:
1. डिजिटल नागरिक सेवाएँ (Citizen-Centric Services)
ई-मित्र (e-Mitra) नेटवर्क: शेखावाटी के गाँवों और कस्बों में ई-मित्र कियोस्क एक मुख्य डिजिटल केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, पानी-बिजली के बिल भुगतान और सरकारी भर्तियों के फॉर्म यहीं से भरे जाते हैं। [1, 2, 3]
एसएसओ आईडी (SSO Portal): 'सिंगल साइन-ऑन' पोर्टल के माध्यम से शेखावाटी का कोई भी नागरिक एक ही यूजर आईडी से राज्य की सभी सरकारी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकता है। [1, 2]
व्हाट्सएप आधारित ई-गवर्नेंस: हाल ही में शुरू की गई पहल के तहत, शेखावाटी के नागरिक अब केवल एक व्हाट्सएप मैसेज ('Hi') भेजकर 27 सरकारी सुविधाओं (जैसे बिजली-पानी बिल भुगतान और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन) का घर बैठे उपयोग कर पा रहे हैं। [1]

2. पारदर्शिता और शिकायत निवारण

जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal): इस पोर्टल के जरिए सीकर, झुंझुनूं और चूरू के निवासी बिना किसी आरटीआई (RTI) के अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड में चल रही विभिन्न योजनाओं, बजट और लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन देख सकते हैं। [4,5,6]

राजस्थान संपर्क पोर्टल (Rajasthan Sampark): शेखावाटी के लोग अपनी प्रशासनिक समस्याओं या शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जिसका जिला प्रशासन द्वारा समयबद्ध निस्तारण किया जाता है। [1, 2]

3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ

जन आधार योजना (Jan Aadhaar): शेखावाटी के परिवारों को 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' के तहत वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ सीधे बैंक खातों (DBT) में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार और कागजी कार्रवाई पूरी तरह खत्म हो गई है। [1, 2]

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RAJSSP) और स्वास्थ्य (RGHS): बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन सीधे खातों में जाती है और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के जरिए सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधा डिजिटल माध्यम से मिल रही है। [1, 2]

4. कृषि और ग्रामीण विकास में ई-गवर्नेंस

ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड (Apna Khata / e-Dharti): किसान अपनी जमीन की जमाबंदी और नकल ऑनलाइन निकाल सकते हैं, जिससे पटवारखानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती।

ई-पीडीएस (e-PDS) और राशन आपूर्ति: शेखावाटी के राशन डीलरों के पास पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनें लगाई गई हैं, जो आधार कार्ड प्रमाणीकरण से जुड़ी हैं। इससे राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता आई है। [1, 2]

5. महिला सशक्तिकरण और स्थानीय नवाचार

राजीविका (Rajeevika) और ई-गवर्नेंस: चूरू जिला प्रशासन जैसे स्थानीय प्राधिकरणों ने राजीविका (महिला स्वयं सहायता समूहों) से जुड़ी महिलाओं को तहसील कार्यालयों में ई-मित्र कियोस्क संचालित करने की जिम्मेदारी दी है, जिससे ग्रामीण महिलाएं डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। [1]इन पहलों के माध्यम से, जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के विजन "डेटा-ड्रिवन और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस" को शेखावाटी के जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप राजस्थान सरकार के आधिकारिक State Portal या सीकर जिले के आधिकारिक Sikar District Portal पर विजिट कर सकते हैं। [7,8,9]

विचार-विमर्श

शेखावाटी क्षेत्र में पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करने वाले मुख्य बिंदु और प्रयास निम्नलिखित हैं:

1. डिजिटल गवर्नेंस और ई-मित्र (E-Governance)

डिजिटल सेवा वितरण: ई-गवर्नेंस के माध्यम से जाति, मूल निवास, आय प्रमाणपत्र और भूमि के रिकॉर्ड (जमाबंदी/नकल) को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है।

29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन: हाल ही में जयपुर में आयोजित इस सम्मेलन के तहत शेखावाटी सहित पूरे राज्य में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया जा रहा है। [1]

2. जन शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal)

राजस्थान संपर्क पोर्टल (181): शेखावाटी के नागरिक घर बैठे अपनी प्रशासनिक शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इन शिकायतों की ट्रैकिंग ऑनलाइन होती है और उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। [1]

जिला सतर्कता समिति: जिलों में कलेक्टर्स की अध्यक्षता में सतर्कता समितियां भ्रष्टाचार निरोध और जन शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निवारण का काम कर रही हैं। [1]

3. जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal)

आरटीआई (RTI) की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। शेखावाटी के लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची, बजट आवंटन और विकास कार्यों के खर्च से जुड़ी जानकारियां बिना किसी आवेदन के सीधे ऑनलाइन देख सकते हैं।[10,11,12]

4. प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था

परीक्षाओं में पारदर्शिता: हाल ही में परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता लाने और नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। [1]

जवाबदेह अधिकारी: उपखंड स्तर पर (जैसे फतेहपुर या नवलगढ़) एसडीएम और तहसीलदार सीधे जनता और प्रदर्शनकारियों से संवाद कर न्यायिक व प्रशासनिक आदेशों को स्पष्टता के साथ लागू कर रहे हैं। [1, 2]

परिणाम

इस क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है:

प्रशासनिक जिले: शेखावाटी अंचल में मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले आते हैं, जो राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। [1]

संभागीय व्यवस्था: सीकर और झुंझुनूं जिले जयपुर संभाग (या सीकर नए संभाग के अंतर्गत) तथा चूरू बीकानेर संभाग के प्रशासनिक दायरे में आते हैं।

स्थानीय प्रशासन: जिला कलेक्टर (District Collector) और पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) इन जिलों की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों का संचालन करते हैं।[13,14,15]

भारत की स्वतंत्रता तक शेखावाटी की स्थापना और शासन शेखावत राजपूतों द्वारा किया गया था ।

धुंधार के राव शेखा ने अमरसर को राजधानी बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया । वे पहले स्वतंत्र शासक थे। उनके बाद राव रायमल, राव सुजा और राव लुनकरन अमरसर के शासक बने। राव मनोहर ने अपने पिता राव लुनकरन के उत्तराधिकारी के रूप में मनोहरपुर (बाद में शाहपुरा नाम दिया गया) की स्थापना की । शाहपुरा के वर्तमान शासक शेखावत उपवंश के टिकाई हैं। शेखावतों ने कैमखानी वंश के झुंझुनू, फतेहपुर और नरहर पर विजय प्राप्त की, 1445 में अपना शासन स्थापित किया और 1614 तक शासन करते रहे।

शेखावत राजपूत (कछवाहा की एक उपशाखा) राव शेखा ने शेखावाटी की स्थापना की थी। उन्होंने मूल रूप से शेखावाटी को 33 ठिकानों (जिन्हें परगना भी कहा जाता है) में विभाजित किया था, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम एक कच्चा मिट्टी का किला था, जिनमें से कुछ को बाद में पत्थर से मजबूत किया गया था। कई ठिकानों के अपने झंडे और प्रतीक चिन्ह थे। जयपुर राजवाड़ा में स्थित सबसे अधिक ठिकानों पर शेखावतों का शासन था। बलोदा ठिकाना राज श्री ठाकुर दलेल सिंह जी शेखावत को दिया गया था, जिन्हें 12 गांवों से युक्त एक जागीर मिली थी। वह पिलानी किले से आये थे और नवलगढ़ के राज श्री ठाकुर नवल सिंह जी शेखावत के पुत्र और झुंझुनू राजा श्री शार्दुल सिंह जी शेखावत के पोते थे। प्रारंभ में, ठाकुर दलेल सिंह जी शेखावत ने पिलानी की स्थापना की और दलेलगढ़ किले का निर्माण किया। उन्हें जागीर के हिस्से के रूप में 12 गांवों के साथ पिलानी और बलौदा के क्षेत्र दिए गए थे। 1832 में उन्होंने मंडन युद्ध में भाग लिया। इसके बाद, वह और उनका वंश बलोदा ठिकाना चले गए, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से संपत्ति का कार्यभार संभाला। राज श्री ठाकुर दलेल सिंह जी शेखावत बलौदा ठिकाना के पहले जागीरदार

(ठिकानेदार) बने। बलोदा ठिकाना के शेखावत शासक भोजराजी वंश और शार्दुलसिंघोत उपकुल (पंचपना) से संबंधित हैं।
बरौ ठिकाना , ठाकुर जगराम सिंह के पुत्र कुँवर कुशाल सिंह द्वारा स्थापित।
बिसाऊ ठिकाना , बिसाऊ और सूरजगढ़ का विलय होकर बिसाऊ बना
चिड़ावा ठिकाना , चिरावा और सुल्ताना का विलय होकर चिरावा बना।
दुंदलोड ठिकाना
इंद्रपुरा रत्नावत वंश, चूरू
झुंझुनू ठिकाना
खाचरियावास ठिकाना राजा रईसल के सबसे बड़े बेटे लाल सिंह को दिया गया था । अकबर ने लाल सिंह को ' लड़का खान' कहा था , इसलिए यह नाम प्रसिद्ध हो गया और उनके वंशज लद्दाखी के नाम से जाने जाते हैं ।
खाटू ठिकाना राजा रायसल के दूसरे पुत्र केसरी सिंह को दिया गया था ।
कंसरदा ठिकाना कनक सिंह को दिया गया।
खंडेला ठिकाना
खातूश्यामजी ठिकाना
खेलना ठिकाना
खेतरी ठिकाना
लोहारू ठिकाना 33वां ठिकाना था, जो अर्जुन सिंह को दिया गया था, जिन्होंने 1570 में वहां एक कच्चा मिट्टी का किला बनवाया था। बाद में इसे 1803 में पक्के किले में बदल दिया गया [16,17,18]
मंडावा ठिकाना
मंडेला ठिकाना
मुकुंदगढ़ ठिकाना
मुंद्रु ठिकाना
नंगाली सलेदी सिंह ठिकाना राव भोजराज ने अपने सबसे छोटे बेटे सलेदी सिंह शेखावत को दे दिया था।
नवलगढ़ ठिकाना
पारसरामपुरा ठिकाना
पेंटालिसा ठिकाना
पिलानी ठिकाना नवलगढ़ के ठाकुर नवल सिंह के तीसरे पुत्र दलेल सिंह शेखावत को दिया गया था। दलेल सिंह को बलोदा और पिलानी के साथ 12 गाँव भी दिए गए थे। उन्होंने पिलानी में दलेलगढ़ किला बनवाया और कुछ समय बाद बलोदा ठिकाना में चले गए।
शाहपुरा ठिकाना शेखावत वंश की प्रमुख सीट थी। शाहपुरा शेखावत उप-वंश का एक ताज़ीमी ठिकाना था और इसे राव शेखा ने अपने सबसे छोटे बेटे राव लुंकरन को प्रदान किया था। [14] [15]
सीकर ठिकाना महाराजा राव तिरमल को प्रदान किया गया । उनके वंशज राव जी का के नाम से जाने जाते हैं ।
सूरजगढ़ ठिकाना
तोशम ठिकाना
उदयपुरवाटी ठिकाना राजा रतिसाल ने अपने पांचवें पुत्र राव भोजराज को दे दिया था । राव भोजराज शेखावतों की भोजराज जी का शाखा के पूर्वज थे । उनके वंशजों ने कई ठिकानों की स्थापना की और उन पर शासन किया।

उदयपुरवाटी के 45 गाँवों के समूह को पेंटालिसा के नाम से जाना जाता था। पेंटालिसा में झाझर , गुढ़ा , बाघोली, खिरोड़ आदि शामिल थे।[19]

निष्कर्ष

शेखावाटी राजस्थानी भाषा की एक बोली है और भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राजपूताना की ऐतिहासिक जनगणना के अनुसार, राजस्थान के झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग तीन मिलियन लोग इसे बोलते हैं। [20] यद्यपि यह व्याकरणिक और साहित्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बोली है, इस पर बहुत कम शोध कार्य हुआ है। 2001 में शेखावाटी के व्याकरण का एक वर्णनात्मक संकलन प्रकाशित हुआ था। [21] अनुपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों की बागड़ी बोली की तरह, शेखावाटी में भी एक समानांतर शब्दकोश है, जो इसे शब्दकोशीय दृष्टि से बहुत समृद्ध बनाता है। शब्द क्रम आमतौर पर एकल स्वर (SOV) होता है और इसमें अंतर्प्रवण (इम्प्लोसिव) का अस्तित्व है । अतिखंडीय स्तर पर उच्च स्वर की उपस्थिति इसे राजस्थानी की अन्य बोलियों के साथ वर्गीकृत करती है । इसने राजस्थानी भाषा और भाषाविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।[20]

संदर्भ

1. "शेखावाटी पर्यटन: शेखावाटी में घूमने की जगहें - राजस्थान पर्यटन" । www.tourism.rajasthan.gov.in । मूल रूप से 21 जुलाई 2024 को संग्रहित । 2 जनवरी 2025 को पुनः प्राप्त ।
2. गुसाईं, लाखन (2001)। शेखावाटी . लिनकॉम। आईएसबीएन 978-3-89586-399-8.
3. "राजस्थान फाउंडेशन" . foundation.rajasthan.gov.in . मूल से 9 फरवरी 2025 को संग्रहीत। 16 मई 2025 को पुनः प्राप्त ।
4. आदित्य मुखर्जी, "कला का लेंस: शेखावाटी की हवेलियाँ", द टाइम्स ऑफ इंडिया (12 नवंबर, 2013)
5. "शेखावाटी के बारे में - शेखावाटी" । 4 मई 2025 को पुनःप्राप्त .
6. मुकुटजी: जयपुर राज्य का भुगोल, पृष्ठ 46-47
7. सहीराम: एक अधूरी क्रांति, शेखावाटी का किसान आंदोलन (1922-1952), पृष्ठ-1
8. जीएच ओझा : राजपूताने का इतिहास (भाग 1), पृष्ठ 83
9. सुख संपति राज भंडारी: भारत के देशी राज्य, जयपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ 3
10. सहीराम: एक अधूरी क्रांति, शेखावाटी का किसान आंदोलन (1922-1952), पृष्ठ-3
11. पृथ्वी सिंह मेहता: हमारा राजस्थान (1950), पृष्ठ 30-31
12. अल्फ हिल्टेबीटेल (2011). धर्म: विधि, धर्म और कथा में इसका प्रारंभिक इतिहास । यूएसए: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 354–355 . ISBN 978-01953942389 अक्टूबर 2020 को प्राप्त किया गया ।
13. लोहारू किला, भिवानी, राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया जाएगा , द ट्रिब्यून, 27 अगस्त 2021।
14. हूजा, रीमा (2006). राजस्थान का इतिहास . रूपा एंड कंपनी. पृ. 499.
15. हूजा, रीमा (2006). राजस्थान का इतिहास . रूपा एंड कंपनी. पृ. 689.
16. बुस्केट, कैरिसे और जेरार्ड इम्प्रेशन्स ऑफ़ राजस्थान 2003, एडिशन फ्लेमरियन, आईएसबीएन 2-08-011171-X
17. हवेली, शाहपुरा (12 जनवरी 2018)। "शाहपुरा होटल्स" । कोंडे नास्ट ट्रैवलर इंडिया ।
18. हेंडरसन, कैरोल डी, भारत की संस्कृति और रीति-रिवाज ; ग्रीनवुड प्रेस 1992, ISBN 0-313-30513-7पृष्ठ 92
19. नांगल-सिरोही की भव्य हवेलियाँ , द ट्रिब्यून , 22 जून 2002।
20. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जनगणना 1931 (https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/31806/download/34987/58047_1931.pdf)